(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4361 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 290/अपील/14-15.

---

1. संजीव कुमार पुत्र श्री कन्छेदीलाल जैन
   निवासी हिंगलाज रोड, बाड़ीखुर्द,
   तह. बाड़ी, जिला रायसेन, म.प्र.
2. नरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री चरण सिंह तोमर
   निवासी ग्राम वजीरगंज बाड़ी,
   तह. बाड़ी, जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. श्री सीताराम मेहरा
2. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री सीताराम मेहरा
3. चौहान सिंह पुत्र स्व. श्री सीताराम मेहरा
   निवासी ग्राम बावई, तह. बाड़ी,
   जिला रायसेन, म.प्र.
4. चंदाबाई पुत्री स्व. श्री सीताराम मेहरा
   पत्नी श्री धनराज सिंह
   निवासी ग्राम बावई, हाल उदयपुरा,
   तह. बाड़ी, जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर.एन. गौर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 03.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित कृषि भूमि स्थित ग्राम बावई के अभिलिखित भूमि स्वामी की मृत्यु उपरांत अनावेदक क्र. 1 एवं 2 लगायत 4 ने आपसी सहमति से पंजी क्र. 4 आदेश दिनांक 02.07.2002 द्वारा अनावेदक क्र. 1 चन्द्रप्रकाश के नाम नामांतरण करवाया। आवेदक क्र. 2 द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि उसके अभिलिखित भूमि स्वामी से पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11.07.2002 द्वारा क्रय कर विधिवत नामांतरण करवाया, तत्पश्चात् विवादित खसरा क्र. 9/1/3/1 रकबा 1.33 एकड़ (0.537 हैक्टेयर) आवेदक क्र. 2 ने आवेदक क्र. 1 को विक्रय की, जिसके आधार पर विधिवत नामांतरण हुआ, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली को मध्यप्रदेश शासन के कमजोर वर्ग के भूमि धारकों को उधार देने वाले सहूकारों द्वारा भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण मुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्र. 759/बी-121/07-08 दर्ज होकर आदेश दिनांक 29.12.2008 द्वारा निरस्त किया गया। तत्पश्चात् अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 द्वारा आपस में कुसंधि कर 10 वर्ष पश्चात् अनावेदक क्र. 2 लगायत 4, अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 76/अपील/12-13 दर्ज कर आदेश दिनांक 25.09.2014 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 02.07.2002 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 03.10.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.09.2014 यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त ने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे कि पंजीकृत विक्रय पत्र, अनावेदक क्र. 1 द्वारा वर्षों पश्चात् आवेदकगण के विरूद्ध कुचक्रों से परित्राण मुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 5 में असफल हो जाने का प्रमाण, जिसमें कि वह असफल रहा है, के बावजूद भी अनावेदक क्र. 2 लगायत 4 से कुसंधि कर प्रथम अपीलीय न्यायालय में समयावधि बाह्य अप्रचलन योग्य अपील करवाई एवं उसमें अपनी सहमति देते हुए पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा विधिवत नामांतरण कराकर अभिलिखित भूमि स्वामी होने के बावजूद भी आवेदकगण को पक्षकार बनाये बगैर उनके विरूद्ध दिनांक 25.09.2014 को कूटरचित आदेश प्राप्त किया, जिसके विरूद्ध मैं अनुमति आवेदन एवं प्रमाणों सहित के साथ द्वितीय अपील अपर आयुक्त में की गई, जो आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर वाद बहुलता को बढ़ावा दिया गया है, जबकि आवेदकगण के नामांतरण आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देने के कारण वह अंतिमता को प्राप्त हो चुके थे, जिन्हें पूर्णरूप से नजरअंदाज किया गया है।

(2) दल अथवा कपट से प्राप्त कूटरचित आदेश जो कि प्रमाणित है, जिसका कि वजूद ही नहीं है कि प्रमाणित प्रतिलिपि की आड़ में आवेदकगण को अपने स्वत्वों एवं नैसर्गिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसे अनेकोनेक न्याय दृष्टांत हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्निलखित आधार उठाये गये हैं-

(1) उपरोक्त प्रश्नाधीन कृषि भूमि पैत्रिक भूमि है, जो अनावेदक क्र. 1 द्वारा वर्ष 2002 की नामांतरण पंजी क्रमांक 4 आदेश दिनांक 02.07.2002 द्वारा अपने नाम से गुपचुप तरीके से अनावेदक क्र. 2 से 4 तक स्व. उसके पिता सीताराम को बिना बताए बिना सूचना दिये तथा बिना सुने नामांतरण करवा लिया गया है, जो उक्त नामांतरण पंजी क्र. 4 पर सीताराम के फर्जी हस्ताक्षर कर नामांतरण करवा लिया गया है, जबकि अनावेदक क्र. 2 से 4 तक अभिलिखित भूमिस्वामी सीताराम की संतान होकर उत्तराधिकारी हैं, इसके बावजूद

पैतृक सम्पत्ति में कोई हिस्सा न देकर विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है।

(2) आवेदकगण का यह कहना गलत है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 4 अनावेदक क्र. 2 से 4 तक की आपसी सहमति से किया गया है, जबकि नामांतरण, नामांतरण पंजी क्र. 4 केवल चन्द्रप्रकाश के नाम किया है, जिस पर ना ही अनावेदकगण 2 से 4 तक की कोई सहमति स्वरूप हस्ताक्षर हैं, ना ही लिखित अथवा मौखिक सहमति दी गई थी। केवल मात्र पिता सीतामरा के फर्जी हस्ताक्षर अनावेदक क्र. 1 द्वारा कराये गये हैं, जबकि अनावेदक क्र. 2 से 4 तक सीताराम के विधिक उत्तराधिकारी होने से एवं पैतृक सम्पत्ति से वंचित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178(क) के प्रावधान अनुसार भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य भूमि का बंटवारा कर सकता है, जो नहीं किया गया है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 यथावत रखे जाने योग्य है।

(3) अनावेदक क्र. 2 कस्बा बाड़ी में आकर मेहनत मजदूरी करने लगा एवं अनावेदक क्र. 3 ग्राम बावई से कस्बा बरेली में आकर निवास करने लगा तथा अनावेदक क्र. 4 शादी के बाद अपनी ससुराल में निवास करती थी। प्रश्नाधीन कृषि भूमि पर अनावेदक क्र. 2 से 4 की सहमति से अनावेदक क्र. 1 काश्तकारी करता था एवं उनके हिस्से के एवज में अनावेदक क्र. 2 से 4 तक की प्रतिवर्ष नगद रूपया अदा कर देता था।

(4) अनावेदकगण के पिता सीताराम की मृत्यु के बाद अनावेदक क्र. 1, अनावेदक क्र. 2 से 4 तक की उनके हिस्से की कृषि भूमि के एवज में प्रतिवर्ष शिकमी की रकम अदा करता रहा। इस कारण प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के संबंध में अनावेदक क्र. 2 से 4 को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा बाद में अनावेदक क्र. 1 के मन में बेईमानी आ गई और वर्ष 2010-11 में अनावेदक क्र. 2 से 4 तक की एवज की राशि देना बंद कर दी तथा लगातार तकाजे करने के बाद भी अनावेदक क्र. 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब अनावेदक क्र. 2 से 4 ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन

भूमि अनावेदक क्र. 1 ने अपने नाम नामांतरण करवा ली। तब अनावेदक क्र. 2 से 4 तक ने माह दिसम्बर 2012 में प्रश्नाधीन भूमि की नामांतरण पंजी की नकल अभिलेखागार, रायसेन से प्राप्त कर जानकारी दिनांक से समयावधि में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जो स्वीकार की जाकर नामांतरण पंजी क्र. 4 आदेश दिनांक 02.07.2002 निरस्त किया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई एवं इसकी द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अत्यंत संक्षिप्त आदेश दिया है, आवेदकगण द्वारा दिये गये तर्कों पर कोई विचार नहीं किया है। मात्र अनावेदक चन्द्रप्रकाश की अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सहमति को आधार लिया है, जबकि चन्द्रप्रकाश जब भूमि अपने नाम कराने के बाद अन्य को बेच चुका था, तो उसकी सहमति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत न होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अत: प्रकरण सभी पक्षों को सुनकर पुन: आदेश करने हेतु अपर आयुक्त की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2017 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पुन: आदेश करने हेतु अपर आयुक्त की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर